

021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप०। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त। बहस प्रा० प० मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरुस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मैनपुरा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अंक तालिका दसवीं कक्षा, तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 12.08.2021, शपथ पत्र हरफूल सिंह का अवलोकन करने पर पाते हैं कि प्रार्थी का सही नाम हरफूल सिंह है तथा उम्मेद व हरफूल सिंह दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही एक ही व्यक्ति के नाम हैं। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ० धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम मैनपुरा पटवार हल्का मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 166, 167, 168, 169, 79, 80, 82/12, कुल किता 7 कुल रकबा 12.4700 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का उम्मेद पुत्र गणपत के बजाय हरफूल सिंह पुत्र गणपत दुरुस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

२५६ ३१.८.२१

(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी,

उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

२५६ ३१.८.२१

(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी